न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1631

1. प्रभुराम रणवा पुत्र भंवरलाल, जाति जाट, निवासी गणेशपुरा तहसील धोद, जिला सीकर।
2. पारू देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट, निवासी गणेशपुरा तहसील धोद, जिला सीकर।
3. राजेन्द्र रणवा पुत्र भंवरलाल जाति जाट, निवासी गणेशपुरा तहसील धोद, जिला सीकर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील धोद, जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर निर्णय दिनांक 24.03.2025 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 104/2024, उनवान तहसीलदार धोद बनाम गोपीराम व अन्य वास्ते रास्ते सबंधी अभियान 2016 स्वीकार कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के तहत अपीलार्थीगण की भूमि में से अवैधानिक रूप से रास्ता कायम किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 20.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.03.2025 के खिलाफ प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 29.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप—6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज—6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 व परिपत्र क्रमांकः प.3(17) राज—6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 एवं राजस्व (ग्रुप—6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.4(10) राज—6/2024 जयपुर दिनांक 06.09.2024 की पालना में दिनांक 21.02.2024 को राजस्व ग्राम गणेशपुरा, पटवार मण्डल लोसल छोटी, तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 116/448, 117, 114, 96, 97 कुल किता 5 में मौके पर रास्ता चालू है। इस प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ते को तैयार प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी इत्यादि एवं श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर ग्राम गणेशपुरा, तहसील धोद के पुजारी की सहमति के आधार पर गै०मु० रास्ता के रूप में स्थाई अंकन किये जाने की अभिशंषा मय प्रस्ताव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को भिजवाया गया।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू— अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार धोद, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 21.02.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोद को आदेशित किया गया कि वे राजस्व ग्राम

अति. संभागीय आयुक्त जयपुर

गणेशपुरा, पटवार मण्डल लोसल छोटी, तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 116/448, 117, 114, 96, 97 कुल किता 5 में से प्रस्तावित रास्ते (रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा में डोटेड लाल स्याही से अंकित के अनुसार) की भूमि रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं संलग्न रास्ता बाबत् रिपोर्ट व नक्शा ट्रैस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने एवं गै.मु. रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रखने तथा तहसीलदार धोद द्वारा हस्तगत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट पत्रांक भू0अ0/2024/279 दिनांक 21.02.2024 आदेश का भाग रखे जाने एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 24.03.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रभुराम रणवा पुत्र भंवरलाल द्वारा यह अपील प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 24.03.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया जाता। मौजूदा प्रकरण मे अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 5.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.37 हैक्टयर राजस्व ग्राम गणेशपुरा तहसील धौद जिला सीकर (राज०) के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित है, भूमि पर उनका कब्जा है तथा भूमि का वो उपयोग उपभोग करते है। लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार धोद (राज०) ने बिना किसी आधार के बिना कोई रास्ता हुए अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये मिलीभगत कर रंजिश पूर्वक कार्यवाही करवाई है। उक्त तथ्य पर उपखण्ड अधिकारी ने कोई ध्यान नही दिया और अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौद ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उन्होने आदेशिका दिनांक 13.12.2024 में गोपीराम पुत्र मानाराम, दुर्गादास पुत्र दोलदास, नानुराम पुत्र गुलाब, भंवरलाल दत्तक पुत्र गोपीराम, मन्नाराम पुत्र जादूराम, रामूराम पुत्र मानाराम, रामी देवी पत्नी गोपीराम, रूपी देवी पत्नी रामूराम, पन्नी देवी पत्नी लाखा के नाम नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जबकि उपरोक्त समस्त व्यक्यिों का देहान्त वर्षों पूर्व हो चुका है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध नोटिस जारी किये है तथा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो एक शून्य प्रभावी आदेश है। क्योंकि किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कानूनन कोई आदेश पारित नही किया जा सकता। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

प्रति. संभागीय आयुक्त जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि तहसीलदार धोद (राज०) द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो किसी

विधिक आधार पर आधारित नही थी बल्कि खसरा नं0 96 व 97 के खातेदार चतराराम पुत्र लाखाराम व अन्य व्यक्तियों को नाजायज लाभ पहुँचाने के लिये तथा उनके प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट तहसीलदार से बनवाई गई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि मौके पर अपीलार्थीगण की भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा है तथा ना ही मौके पर कायम है। अपीलार्थीगण की भूमि खसरा न0 117 मे से 0.10 हैक्टयर भूमि तथा खसरा न. 114 मे से 0.17 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप मे कायम कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिखाया गया है वहाँ मौके पर कोई रास्ता नही है। अन्यथा भी किसी खातेदार के खेत मे से बिना किसी आधार के रास्ता कायम नही किया जा सकता। उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर व तहसीलदार द्वारा बनाई गई गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से उपरोक्त आदेश प्रदान किया गया। अपीलार्थीगण की भूमि मे से बिना कोई रास्ता हुए अपीलाधीन आदेश की आड मे रास्ता कायम किया गया है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थीगण की भूमि मे से जो रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट मे दर्शाया गया है उस रास्ते का कोई वजूद नही है। इसके बावजूद हल्का पटवारी व तहसीलदार की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त रास्ता कायम कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) ने अपने आदेश मे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कही भी यह अंकन नही है, कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व मे प्रचलित हुए बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान हो। उसके बावजूद राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र मे अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है कि अपीलार्थीगण की उपरोक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थीगण की भूमि में से एक नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये है जो पूर्णता औचित्यहीन है जिसका केवल मात्र उद्धेश्य अपीलार्थीगण की भूमि में से रंजिशवश प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थीगण की खातेदारी समाप्त करना है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही थी जिससे लेशमात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई प्रचलित रास्ता रहा हो या वर्तमान मे कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम में आ रहा हो। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि मे से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है, कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर बिना कोई रास्ता मौके पर कायम हुए भूमि खसरा नं0 96 व 97 के खातेदार को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिये अपीलार्थीगण की भूमि मे से रास्ता कायम किया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उसकी प्रति सबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा 'प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार धोद (राज०) व उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में कही यह अंकन नही किया कि उक्त खसरा नम्बर में जो रास्ता कायम किया जा रहा है उसकी चौडाई कितनी होगी तथा उसकी लम्बाई कितनी होगी तथा प्रभावित खातेदार की भूमि में उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित किये जा रहे है। जबकि अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 117 मे से रकबा 0.10 हैक्टयर भूमि व खसरा नम्बर 114 मे से 0.17 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप मे कायम की है जिसका कोई विधिक आधार नही है। अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से कथन करते है कि खेतों मे जाने के लिये रास्ते की चौडाई केवल मात्र पगडण्डी व सीमित रास्ते के रूप मे होती है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है उसमे अपीलार्थीगण की भूमि मे से जो रास्ता कायम किया है उसकी चौडाई लगभग 25 से 30 फीट है जो केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 96 व 97 व उनके पारिवारिक सदस्यों को नाजायज लाभ पहुँचाने के लिये उपरोक्त अवैध आदेश पारित किया है जिसका कोई वैधानिक आधार नही है। तथा अवैधानिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु जो नोटिस जारी किये है वो मृत व्यक्तियों को जारी किये गये है जबकि अपीलार्थीगण भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उसके बावजूद उन्हे उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया तथा ना ही कोई सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया। जबकि अपीलाधीन आदेश दिनाक 24.03.2025 मे यह अंकित किया कि प्रभुराम पुत्र भंवरलाल, पारूदेवी पत्नी भंवरलाल, राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल मौके पर मिले रास्ता कटान हेतु असहमति प्रदान की। अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से कथन करते है कि अपीलार्थीगण को उपरोक्त प्रकरण व आदेश के बारे मे किसी तरह की कोई जानकारी नही रही है तथा ना ही उन्हे कोई नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविवेचनापूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को अपील सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 की पूर्व मे कोई जानकारी नही थी। दिनांक 20.08.2025 को जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो उन्हे यह जानकारी मे आया कि अपीलार्थीगण की भूमि मे से कोई रास्ता कायम किया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थीगण

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

ने हल्का पटवारी से संपर्क किया तो हल्का पटवारी ने अपीलार्थीगण से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी धौद ने दिनांक 24.03.2025 को उनकी भूमि खसरा नम्बर 114 व 117 मे से रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है। तत्पश्चात प्रकरण की जानकारी कर दिनांक 22.08.2025 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी उन्हें दिनांक 25.08.2025 को नकल प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात जयपुर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थीगण संलग्न अपील मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 5.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.37 हैक्टयर, (हाल खसरा नम्बर 660/117 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 661/117 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 656/114 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 657/114 रकबा 5.65 हैक्टयर) राजस्व ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लोसल छोटी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर (राज०) वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित है भूमि पर उनका कब्जा है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी धोद ने बिना प्रकरण मे पक्षकार बनाये उनकी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये है। इसलिये प्रार्थीगण के उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 से उनके अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे है इसलिये उसे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाकर अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा भी उक्त क्षेत्राधिकार विहिन आदेश व शून्य प्रभावी आदेश से प्रार्थीगण के भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये है। इसलिये उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाकर उसे निरस्त करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी धोद (राज०) द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर (राज०) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 24.03.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.08.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 व परिपत्र क्रमांकः प.3(17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर दिनांक 06.09.2024 की पालना में दिनांक 21.02.2024 को राजस्व ग्राम गणेशपुरा, पटवार मण्डल लोसल छोटी, तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 116/448, 117, 114, 96, 97 कुल किता 5 में मौके पर रास्ता चालू है। इस प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ते को तैयार प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी इत्यादि एवं श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर ग्राम गणेशपुरा, तहसील धोद के पुजारी की सहमति के आधार पर गै०मु० रास्ता के रूप में स्थाई अंकन किये जाने की अभिशंषा मय प्रस्ताव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार धोद, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 21.02.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोद को आदेशित किया गया कि वे राजस्व ग्राम गणेशपुरा, पटवार मण्डल लोसल छोटी, तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 116/448, 117, 114, 96, 97 कुल किता 5 में से प्रस्तावित रास्ते (रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा में डोटेड लाल स्याही से अंकित के अनुसार) की भूमि रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं संलग्न रास्ता बाबत् रिपोर्ट व नक्शा ट्रैस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने एवं गै.मु. रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रखने तथा तहसीलदार धोद द्वारा हस्तगत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट पत्रांक भू0अ0/2024/279 दिनांक 21.02.2024 आदेश का भाग रखे जाने एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 114 व 117 के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार भंवरलाल पुत्र गोपीराम थे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ने दिनांक 13.12.2024 को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया था। जिसमें प्राप्त रजिस्ट्रर्ड नोटिस में अंकित किया गया कि "Deceased" अर्थात नोटिस प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। इसके उपरान्त भंवरलाल पुत्र गोपीराम के वारिसान को नोटिस दिये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं प्रभावित खातेदारों की सहमति प्राप्त किये बिना तथा अपीलार्थीगण को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स को भी सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

धोद, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये खसरा नम्बर 114 व 117 के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार भंवरलाल पुत्र गोपीराम, विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदारों के वारिसान को सुनकर, तहसीलदार धोद से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है एवं मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये खसरा नम्बर 114 व 117 के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार भंवरलाल पुत्र गोपीराम, विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदारों के वारिसान को सुनकर, तहसीलदार धोद से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है एवं मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर